काम कर सकें? दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा प्रावधान उन्होंने दूसरे शहरों के लिए भी किया है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि आने वाले साल में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन योजना जो है यह एक प्रकार से एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत है, इसलिए इसमें अब और नई स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। जो पहले से स्वीकृत कार्यक्रम हैं उन्हीं कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा और उसके बाद यह पूरा का पूरा कार्यक्रम एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत आ जाएगा और राज्यों के द्वारा जो-जो बातें आयेंगी या राज्य जो कुछ भी भेजेंगे उसके अनुरूप ही इस पर स्वीकृति दी जाएगी। यह राज्यों में एक प्रकार से दिया गया है। माननीय सभापति जी, सूरत का कार्यक्रम अब बंद हो गया है।

Renewal of Bookstall Contracts

*185. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2898, given in the Rajya Sabha on the 18th August, 2000 and state:

(a) whther it is a fact that no discrimination of any kind is allowed between the same type of trade, under Article 19(i) G of the Constitution of India;

(b) if so, the reasons for not renewing all the bookstall contracts for a period of nine years and for withdrawing the sole selling clause, excepting the A.H. Wheeler and Co.;

(c) whether Government have received a number of suggestions from M.P's for removing all the discriminations between A.H. Wheeler and Company and the other bookstall contractors on all the Indian Railways; and

(d) if so, the details of action taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Prior to 1960, M/s A.H. Wheeler & Co. had a monopoly in operating bookstalls on the entire railway system except Southern Railway and a part of South-Central Railway, where M/s. Higginbothams Ltd. had their bookstalls. In 1960 their monopoly rights were restricted to only those stations where M/s A.H. Wheeler & Co. were having bookstalls and their term of licence was kept for 5 years.

The position was again reviewed in 1966 and as a consequence of negotiations held with the firm and in consultation with the Ministry of Law, a decision was taken that the tenure of licence of M/s A.H. Wheeler & Co. and M/s Higginbothams Ltd. would be for nine years with effect from 01.01.1967. However, tenure of all other bookstall licences which include bookstalls run by philanthropic organisations such as Rama Krishna Mission, Gita Press, Sarva Seva Sangh and also the bookstalls run by unemployed graduates, their societies/cooperatives etc. was kept as five years. In order to restore the rights of the licensor *viz.* Indian Railways to grant licence to any other party to operate bookstalls at the railway platforms, the sole selling rights clause was withdrawn from the agreement of the bookstall licensee except M/s. A.H. Wheeler & Co. in the year 1976. However, the sole selling rights of M/s A.H. Wheeler & Co. was restricted to only those stations where they had bookstalls prior to 01.01.1976.

The railway administration has also fixed a different licence fee structure which is presently 4% of sale turnover in case of these two major bookstall licensees namely M/s. A.H. Wheeler & Co. and M/s. Higginbothams Ltd. and 2½% from the philanthropic organisations and only a minimum of Rs. 750/- per annum per bookstall from unemployed graduates and their organisation. This indicates that the Government has made separate set of rules for running the bookstalls at railway stations by different categories of bookstall licensees under different terms and conditions. This is, therefore, in conformity with the provisions of article 19(1)(g) of the Constitution of India.

(c) and (d) Yes, Sir. The issue will be considered at the time when the current term of the licence expires.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: सभापति महोदय, यह प्रश्न रेल प्रणाली पर बुक स्टॉल चलाने के संबंध में मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी के एकाधिकार से संबंधित है। प्रश्न के "क" और "ख" भागों के उत्तर में जो कहा गया है वह परस्पर विरोधी है। इसलिए पहले तो मंत्री महोदय उसे स्पष्ट करेंगे कि 1966 का जो बताया गया है कि 1966 के बाद एकाधिकार को उसी हद तक सीमित रखा गया जहां इस कंपनी के बुक स्टॉल 1960 के पहले जिन स्टेशनों पर थे और आगे के पैरा में कहा गया है कि 1976 में जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार बुक स्टॉल के एकाधिकार उन स्टेशनों पर रखे गए जो 1976 के पूर्व थे, तो 1960 के पूर्व जो स्थिति थी उसमें यह परिवर्तन 1976 में कैसे हो गया? एक तो इसको स्पष्ट करें, क्योंकि यह परस्पर विरोधी है। दूसरा..... ।

श्री सभापति: दूसरा बाद में कीजिएगा। ...(व्यवधान) दूसरा सवाल आप बाद में कीजिएगा, पहले का जवाब आने के बाद कीजिएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): सभापति जी, उत्तर परस्पर विरोधी नहीं है। ए.एच. व्हीलर कंपनी सौ साल पुरानी कंपनी है और जब से भारतीय रेल का इतिहास शुरू हुआ, करीब-करीब ए.एच. व्हीलर कंपनी का इतिहास भी भारतीय रेल से तभी से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी सन 1887 से काम कर रही है और जैसा कि माननीय ओझा जी ने जिक्र किया 1966 में उस समय यह रिव्यु किया गया था और यह तय किया गया था कि इस के एकाधिकार को रखा जाए या छोड़ा जाए। उस में यह तय किया गया कि इस के एकाधिकार को कम किया जाए और कम करने के तहत अब ए.एच. व्हीलर को 9 वर्षों तक के रिनुअल की अनुमति दी गयी है। सभापति जी, दूसरी परस्पर विरोधी बात आप को लग रही है, उस में वर्ष 1976 में यह कहा गया कि जो नए प्लेटफॉर्म्स हम बनाएंगे, उन प्लेटफॉर्म्स पर ए.एच. व्हीलर का वह एकाधिकार नहीं रहेगा और अगर ए.एच. व्हीलर वहां आना चाहती है तो पुराने प्लेटफॉर्म्स के अपने स्टॉल्स को उन को समाप्त करना पड़ेगा। सभापति जी, इसलिए यह परस्पर विरोधी नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 1994 में उस का पहला रिनुअल हुआ है, 2003 में फिर से उस का रिनुअल होने की अवधि है और उस समय उस का एकाधिकार स्वत: समाप्त हो जाएगा।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ए.एच. व्हीलर के मामले में 9 वर्ष की लाइसेंस अवधि रखी गई है तो दूसरों के लिए यह 5 वर्ष क्यों है? यह अन्तर क्यों रखा गया है? क्या यह कंपनी इतनी पुरानी है इसलिए और दूसरे नए हैं इसलिए या इस के और भी कारण हैं? महोदय, इस प्रश्न का पार्ट-2 यह है कि सांसदों के जो सुझाव आए हैं, उन का सार क्या है यह बताने का मंत्री जी कष्ट करें।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ए.एच. व्हीलर काफी पुरानी संस्था है। यह सौ साल से अधिक पुरानी संस्था है और देशभर में रेलवे के जितने स्टॉल्स आज हैं, उन में करीबन 378 स्टॉल्स ए.एच. व्हीलर के हैं और 36 प्रतिशत उन के स्टॉल्स का अनुपात है। दूसरी संस्थाओं को भी हम स्टॉल्स देते हैं, लेकिन जहां तक 9 साल और 5 साल का सवाल है, वह मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इन का पहले पूरा एकाधिकार था। उन की जगह कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। बाद के दिनों में धीरे-धीरे हम ने उन के एकाधिकार को समाप्त किया है और दूसरी संस्थाओं को भी हम स्टाल्स देते हैं । रामाकृष्ण मिशन, सर्वसेवा संघ, गीता प्रेस जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को देते हैं, अन-एम्पलाइड ग्रेजुएट्स को देते हैं। महोदय, अन-एम्पलाइड ग्रेजुएट्स को भी हम करीब आधे देते हैं, करीब 49 पॉइंट कुछ परसेंट देते हैं और 36 परसेंट उन को मिले हुए हैं, स्वयं सेवी संस्थाओं को करीब 9 प्रतिशत के आसपास मिले हुए हैं। लेकिन ए.एच. व्हीलर से हम सब से ज्यादा पैसा भी लेते हैं और अभी तक हमें जो पैसा मिलता है, उस में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की रॉयल्टी ए.एच. व्हीलर की तरफ से मिलती है, 4 प्रतिशत उन का तय किया गया है, बाकी स्वयं सेवी संस्थाओं से हम 2 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर लेते हैं और अन-एम्पलाइड ग्रेजुएट से 750 रुपया प्रति वर्ष लेते हैं। इस तरह का उन का एकाधिकार अब

नहीं रहा और जहां तक संसद सदस्यों के सुझावों का सवाल है तो जब 2002 के अंत में और 2003 के प्रारंभ में जब यह लाइसेंस अवधि खत्म होगी और हम नया काम प्रारंभ करेंगे तो संसद सदस्यों के सुझावों को हम सम्मानित रूप से देखेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, समय लगभग पूरा हो रहा है।

श्री सभापति: तो आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते? चौधरी चुन्नी लाल।

चौधरी चुन्नी लाल: सर, मैं बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछ लेता हूं। यह जो स्टॉल्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिस तरह पेट्रोलियम विभाग में एल.पी.जी. और पेट्रोल पम्प्स का आवंटन आरक्षित अनुपात के अनुसार किया जाता है, क्या रेल मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि इस तरह के अलॉटमेंट्स में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा और अगर रखा जाएगा तो क्या कार्यवाही होगी?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, अभी तक जो तरीका हम अपनाते हैं, उन तरीकों का हम ने जिक्र किया है और जब 2002 के अंत में या 2003 के आसपास फिर से रिनुअल होने लगेगा, उस समय हम इस का भी ख्याल रखेंगे कि समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए कितना प्रावधान हम इन कामों के लिए कर सकते हैं। हम उस का ख्याल अवश्य रखेंगे।

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद: सर, वर्ष 2002 के अंत में मौजूदा लाइसेंसिंग अवधि समाप्त होने वाली है तो क्या यह आश्वासन मंत्री जी दे सकते हैं कि ए. एच. व्हीलर और अन्य जो संस्थाएं हैं, उन के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को आप समाप्त करेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह: निश्चित रूप से, जब हम ने कहा है कि उन की मोनोपोली को समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से खुले रूप से सब लोगों का जो हक और अधिकार है, वही व्हीलर का भी हक और अधिकार रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Extra Seats for Engineering Colleges in Andhra Pradesh

*181. SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to open a new regional centre in Andhra Pradesh to inspect opening of new engineering colleges;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how many extra seats are proposed to be given in Andhra Pradesh in the near future?